

# मालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

## फर्द अहकाम

श्री 16 पन्नावली पेश हुई। राजस्व लोक अदालत फाले अप गिरि में वादी एवं प्रतिवादी नं० 1 उप० जिन्होंने प्रा० 44 प्रस्तुत कर प्रकट करा कि इस प्रकार के एक ही चलाता चारते आपसी सहमति से निष्कारण कर लेते। दोनों ने उप० हेकर 95111 कि हमें सहमति हो गई है।

इत' दावा वाकत भूमि विमजन एवं स्चार्ड निवेधाना रवारिज बिमा जाता है। पन्नावली फैसल पुफार हेकर नमर से कम की जाकर नाड लक्ष्मील डाखिल इफतर की जाके।

उपजल अधिकारी  
हिण्डौन